न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

आवेदन पत्र वाद सं0–347 / 2016

देवानी दास बनाम सालदेव दास वगै0

(धारा 144 द0प्र0स0)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
06/9/17	**आदेश** प्रस्तुत कार्रवाई आवेदक के आवेदन पत्र पर प्रारंभ करते हुए थाना प्रभारी से जॉच प्रतिवेदन एवं विपक्षी से कारणपृच्छा की मांग की गई। पुनः आवेदक के आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिवेदन एवं विपक्षी से कारणपृच्छा प्राप्त। जरमुण्डी थाना अन्तर्गत मौजा बॉधडीह के जमाबंदी सं0–22 जिसका दाग सं0 एवं रकवा आवेदक के आवेदन पत्र में उल्लेखित है। उक्त भूमि पर द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत् कार्यवाही प्रारंभ करने के विन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध लेख्यात्मक साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विषयगत भूमि खतियान में फूलचन्द्र चमार एवं अन्य के नाम से दर्ज है। वंशावली के अनुसार खतियानी रैयत फुलचंद महरा को तीन वारिश गुरुदयाल महरा, मुरारी महरा एवं तेजु महरा। गुरुदयाल महरा को दो वारिश विदेशी महरा एवं कालेश्वर महरा। कालेश्वर महरा को तीन वारिश सरजन दास, गिरजन दास एवं देवानी दास। देवानी दास वर्तमान कार्यवाही में प्रथम पक्ष है। मुरारी दास को तीन वारिश गणपत दास, रामजी दास एवं विरजु दास। गणपत दास को दो वारिश सोकिन दास एवं होरिल दास। होरिल दास वर्तमान कार्यवाही में द्वितीय पक्ष है। तेजु दास को चार वारिश जदु दास, उपासी दास, जागो दास एवं पाण्डु दास। जदु दास को तीन वारिश बलदेव दास, भुटु दास एवं सालदेव दास। सालदेव दास वर्तमान कार्यवाही में द्वितीय पक्ष है। उपासी दास को पॉच वारिश लालजी दास, बुधु दास, तुफानी दास, संटु दास एवं अन्दु दास। जागो दास को दो वारिश हॅसु दास एवं विशु दास। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वैद्य वारिसान है। ~~प्रथम~~ प्रथम पक्ष विषयगत भूमि के दखल कब्जे में रहकर जोत आबाद करते आ रहे है। लेकिन द्वितीय पक्ष द्वारा जबरन प्रथम पक्ष को जोत आवाद करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है जिससे पक्षकारों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए विषयगत भूमि पर द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत् कार्यवाही प्रारंभ कर द्वितीय पक्ष को जाने से रोका जाय। द्वितीय पक्ष की वकालतन हाजरी दी गई है। लेकिन ये बहस के दौरान अनुपस्थित रहे। इन्हें लिखित बहस दाखिल करने का निदेश दिया गया है लेकिन इनके द्वारा किसी प्रकार का लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया। अंचल अधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किये है कि दोनों पक्ष खतियानी रैयत फुलचंद दास के वारिशान है। दोनों पक्षों के बीच अंचल अमीन एवं 16 आना रैयतों के बीच आपसी बॅटवारा हो चुका है जिसमें प्रथम पक्ष का कहना है कि विपक्षी अपने हिस्से में ज्यादा भूमि जोत आवाद कर रहे है तथा तीनों मौजा की भूमि का बॅटवारा को लेकर दोनों पक्षों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन समर्पित किये है।	

अंचल अधिकारी
जरमुण्डी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध लेख्यात्मक साक्ष्यों का अवलोकन किया। द्वितीय पक्ष का वकालतन हाजरी दिया गया है लेकिन बहस के दौरान ये अनुपस्थित रहे। इन्हें लिखित बहस दाखिल करने हेतु काफी समय दिया गया लेकिन इन्हें द्वारा किसी भी प्रकार का लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया। विषयगत भूमि खतियान में फुलचन्द चमार एवं अन्य के नाम से दर्ज है। दोनों पक्ष खतियानी रैयत फुलचन्द चमार के वारिशान है। विषयगत भूमि दोनों पक्ष की संयुक्त सम्पति है, जिसका वैद्यानिक बॅटवारा हुआ है या नहीं इसका कोई वैद्यानिक कागजात पक्षकारों द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। मामला स्पष्ट रुप से पक्षकारों के बीच दखल कब्जा का नहीं बल्कि बॅटवारा से संबंधित है जिसका निपटारा द0प्र0स0 की धारा 144 की कार्यवाही में संभव नहीं है। अतः इसे समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। अनु0दण्डा0 अनुमंडल दण्डाधिकारी दुमका।	